न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर
बइजलास डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या :–274/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :–2022/344

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
सतपाल पुत्र हरिकिशन जाति खाती निवासी अरावली वन विभाग के पास नागौर तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2. पटवारी हल्का नागौर तहसील व जिला नागौर

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :– 13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2022 सरकार बनाम सतपाल में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपील पेश करने की निर्धारित समयावधि दिनांक 09.09.2022 तक थी अपीलार्थी द्वारा अपील को तैयार करवाकर पेश करना था, परन्तु अपीलार्थी दिनांक 08.09.2022 व 09.09.2022 को बीमार हो जाने के कारण समय पर अपील पेश नहीं कर सका व नकल प्राप्ति में लगे समय को समायोजित करने पर निर्धारित अवधि 10.09.2022 तक होती है। दिनांक 10.09.2022 व 11.09.2022 को अवकाश होने के कारण अपील दिनांक 12.09.2022 को पेश की गई है, जो उक्तानुसार अन्दर मयाद है, फिर भी हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का ऐतराज नहीं होने का कथन किया। उपर्युक्तानुसार तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आशय की पेश की कि सतपाल पुत्र हरिकिशन जाति खाती ने मौजा नागौर के ख.नं. 592/906 रकबा 2000 वर्गफीट किस्म गै. मु. अंगोर भूमि पर सम्वत् 2079 में पक्का कमरा व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार,नागौर के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया व अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तत्पश्चात बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना पटवारी हल्का के बयान लिये व जिरह का अवसर दिये बिना व जवाब के तथ्यों पर गौर किये बिना ही बिना बहस सुने तहसीलदार नागौर ने दिनांक 10.08.2022 को अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जो आदेश विधि विरूद्व हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया कि उसका मकान शहर नागौर की आबादी के मध्य अरावली वन विभाग कार्यालय के पास बना हुआ है। जो मकान आज से कारब 20 वर्षो से अधिक समय पूर्व का बना हुआ है व मकान में बिजली कनेक्शन लिया हुआ है व पानी कनेक्शन लिया हुआ है व मकान में रहवास के दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बने हुए है। जो जायगां नागौर की आबादी के मध्य स्थित है तथा किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है। उक्त मकान के चारों और आबादी स्थित है व सैकड़ों की संख्या में रहवासी मकान आसपास व चारों ओर बने हुए है व उक्त मकान नगर परिषद नागौर के वार्ड संख्या 30 में स्थित है तथा वार्ड संख्या 30 की मतदाता सूची में भी अपीलार्थी का उक्त मकान में रहवास बाबत नाम दर्ज है व इसी मकान का वोटर कार्ड जारी किया हुआ है। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से अंगोर भूमि नही है व न ही अंगोर के रूप में काम में आ रही है बल्कि आबादी के मध्य स्थित है। उक्त मकान के आस पास के कई मकानों के पट्टे नगरपरिषद नागौर व नगरपालिका मण्डल से जारी किये जा चूके है व कई व्यक्तियों के नाम भूमि का रूपान्तरण होकर पट्टे जारी किये गये है व कई व्यक्तियों के नाम नियमन भी किया गया है। अपीलार्थी के नाम से भी रूपान्तरण की कार्यवाही की हुई व रूपान्तरण शुल्क भी जमा करवाया गया है जो कार्यवाही अभी विचाराधीन है व पट्टा आवेदन नगर परिषद नागौर के समक्ष भी पेश किया गया है व 90बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट कथन अपीलार्थी ने अपने जवाब अंकित किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवलोकन ही नही किया व न ही जवाब के तथ्यों का किसी प्रकार का विवेचन ही किया व न ही अपने निर्णय में तथ्यों का उल्लेख किया है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय विधिसमत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी का रहवासी मकान किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 592/906 में स्थित नही है व न ही अंगोर भूमि में है बल्कि आबादी भूमि में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिये इस सम्बन्ध में अतिक्रमण साबित करने हेतू पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के बयान करवाये जाने व अतिक्रमण साबित करने हेतू मौका रिपोर्ट मय सीमांकन पेश करवायी जानी आवश्यक थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य से अतिक्रमण साबित किये ही गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो विधिसमत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी के उक्त कमरा व बाड़ा के सम्बन्ध में दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश नागौर के समक्ष विचाराधीन है जो वाद तहसीलदार जी द्वारा बेदखल करने की कार्यवाही करने पर पेश किया गया जो वाद विचाराधीन है। वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया जिसमें बाद सुनवायी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जो आदेश आज दिन भी प्रभावी है। इसलिये अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश विधिसमत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को अपास्त करने का आदेश प्रदान करने एवं विकल्प में अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर राजस्व टीम से सम्पूर्ण भूमि का पूर्ण नाप चौप कर सीमांकन रिपोर्ट पेश करवाकर पटवारी हल्का के बयान लेकर व साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण तहसीलदार,नागौर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1980 पेज 483 एवं आर0आर0डी0 1980 एनयूसी 66 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर यह निवेदन किया कि पटवारी द्वारा बिना जॉच किये एक पक्षीय रिपोर्ट पेश की है,जो निरस्त योग्य हैं एवं तहसीलदार को आबादी भूमि के सम्बन्ध में दफा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने के अधिकार नहीं हैं।

राजपेरोकार ने अपनी बहस में यह कथन किया आराजी मुतनाजा गै0मु0 अंगोर की भूमि हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया हैं,जिसके विरूद्व तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर बेदखली एवं जुर्माना के आदेश दिये हैं,जो सही दिये गये हैं। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति पेश कर अंगोर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों की पेश नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का,नागौर द्वारा गैर सायल के विरूद्व मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592/906 रकबा 2000 वर्गफीट किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि पर जरिऐ कमरा व बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार,नागौर को पेश की हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे दिनांक 10.08.2022 को निर्णय पारित किया हैं। अपीलांट का यह कहना की उन्हें सुनवाई एवं सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं,पत्रावली के अवलोकन से यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट हैं कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद खसरा नम्बर 592/906 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि अपीलांट के स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं,जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता हैं कि गैर सायल द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर कमरा व बाड़ा बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया हैं तथा जिसके विरूद्व तहसीलदार,नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही विधिवत हैं एवं तहसीलदार,नागौर के निर्णय दिनांक 10.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनसी न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। इस प्रकरण की भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का अभिकथन वकील अपीलांट द्वारा किया गया हैं,इसलिए तहसीलदार,नागौर अपने निर्णय की पालना के समय न्यायालय के निर्णय की नियमानुसार पालना करें। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर,नागौर